

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल

क्र. अ-1-ब/स्था/स्थानांतरण/2011/ 2784

दिनांक: 07/06/11

आदेश

निम्नलिखित सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल एवं पदस्थी दिनांक	पूर्व आदेश क्रमांक व दिनांक	चाहा गया स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
1	2	3		4	5
1	श्रीमती नंदिता सासकुडे	अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन, जिला जबलपुर	अ-1-ब/स्था/ स्थानांतरण/2010/2796, दि. 15.06.2010 सरल क्र. 3 पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कटनी किया गया	कटनी किया गया स्थानांतरण संशोधन कार्या. प्राचार्य, कृ.वि. एवं प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर	स्वयं के व्यय पर


1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा।

1.1 स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।



स्थानान्तरित अधिकारी / कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं इम्पलाईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

- 2 स्थानान्तरण किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा।
- 3 स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित अधिकारी / कर्मचारी को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।


संचालक 716
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
भोपाल

- क्र. अ-1-ब/स्था/स्थानान्तरण/2011/2785 दिनांक: 07/06/11
- प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1 विशेष सहायक, मानीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 2 विशेष सहायक, मानीय राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 3 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 4 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग जबलपुर।
 - 5 उद्घ संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी/जबलपुर।
 - 6 प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर जिला जबलपुर।
 - 7 अनुविभागीय कृषि अधिकारी, पाटन, जिला जबलपुर।
 - 8 निज सहायक/ प्रशासनिक अधिकारी, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
 - 9 संबंधित श्री -----
 - 10 आदेश नस्ती।


संयुक्त संचालक(स्थापना)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
भोपाल